2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज केसुराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 21/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी केसुराम विश्नोई पुत्र पूनाराम विश्नोई पता ग्राम मोटानिया नगर, पोस्ट मतोड़ा तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.01.18 में उसके द्वारा (1) हनुमान लाखेटा राशन डीलर दुकान नं. FPS CODE-10496 (मतोड़ा) की दिनांक 01.01.2012 सूचना देने की दिनांक तक राशन सामग्री केरोसीन गेहूँ अन्य जो, जो भी हो, सभी रजिस्ट्रर की तथा वितरण रजिस्ट्रर की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक रसद/जो.।।/सू.अ. /2018/35 दिनांक 01.02.2018 दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीपक्ष ने अपील में बतलाया कि लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर उक्त सूचना प्रेषित नहीं की गई है। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से जरिये पत्रांक 98 दिनांक 20.02.18 प्राप्त हुआ जिसमें अवगत कराया गया कि कि अपीलार्थी केसुराम विश्नोई द्वारा जो सूचना चाही है उसमें विभागीय पत्रांक एफ 17(45)खा.वि./विधि/76–।।। जयपुर मई, 2001 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त चाही गई सूचना आवेदक केसुराम विश्नोई को कार्यालय के पत्र कमाक 35 दिनांक 01.02.2001 द्वारा सूचित कर दिया गया है कि उनके द्वारा चाही गई सूचना विभागीय पोर्टल www.food.raj.nic.in पर उपलब्ध है। वे विभागीय पोर्टल से भी सूचना प्राप्त कर सकते है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) ने अपनी रिपोर्ट में चाही गई सूचना के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(45)खा.वि. /विधि/76–।।। जयपुर मई, 2001 की प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का औचित्य क्या रहा है, स्पष्ट नहीं किया है जो खेदजनक है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.01.2012 से सूचना देने की दिनांक तक राशन सामग्री के सभी रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां चाहिए गई। सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी से निर्धारित शुल्क देकर प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का प्रावधान है, द्वितीयत् लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना विभागीय पोर्टल www.food.raj.nic.in पर उपलब्ध किस वर्ष से है, स्पष्ट नहीं किया है अतः मात्र विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध होने की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई लगातार....	

	सूचना विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।